न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 टीना शर्मा

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र संख्या–11/2026
सी0आई0एस0 नम्बर 148/2026
CNR No. RJJM010095362026

राजेन्द्र प्रसाद जाखड पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाखड,
निवासी वार्ड नं0 7, जोरावर नगर ढाणी जोरावर सिंह,
वाया कांवट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर

....निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक
   जयपुर महानगर प्रथम

2. प्रमोद कुमार मीणा पुत्र स्व0 श्री ओंकार सिंह मीणा,
   निवासी बी–78, भरत विहार आगरा रोड, जामडोली,
   लूनियावास, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध आदेश दिनॉक 20.01.2026 जो कि विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम–7, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 4427/2022 प्रमोद कुमार मीणा बनाम राजेन्द्र प्रसाद `में पारित किया।

प्रतिनिधित्व–

1. श्री रामसिंह राठौड, अधिवक्ता–निगरानीकर्ता
2. कुमारी नौशाबा, अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार
3. श्री सुरेश कुमार मीणा, अधिवक्ता–प्रत्यर्थी संख्या 2

:: आदेश :: दिनॉकः 14 जुलाई, 2026

1. निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या–7, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 4427/2022 प्रमोद कुमार मीणा बनाम राजेन्द्र प्रसाद में पारित आदेश दिनॉक 20.01.2026 से व्यथित होकर उक्त दाण्डिक निगरानी न्यायालय सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–प्रथम के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो विधिनुसार सुनवाई एवं

निस्तारणार्थ इस न्यायालय को जरिये अन्तरण प्राप्त हुई।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2/परिवादी की ओर से निगरानीकर्ता के विरूद्व परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्व उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त के उपस्थित होने पर उसे धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा की विशिष्टियॉ सुनाई समझाई गईं एवं पत्रावली साक्ष्य परिवादी हेतु नियत की गई। तत्पश्चात् परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने पर आलोच्य आदेश दिनॉक 20.01.2026 से प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अभियुक्त की ओर से हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. बहस के दौरान निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं निगरानी याचिका में वर्णित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण परिवादी से जिरह नहीं की जा सकी, जो मजबूरी रही है, इस सम्बन्ध में अधिवक्ता द्वारा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी प्रस्तुत किया गया था। यदि आलोच्य आदेश को अपास्त नहीं किया गया, तो निगरानीकर्ता अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाएगा एवं अपनी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष नहीं रख पाएगा। अन्त में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 20.01.2026 अपास्त किया जाकर निगरानीकर्ता को परिवादी से जिरह का अवसर प्रदान किया जावे। अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न निर्णीत विधियॉ प्रस्तुत की गई–

(1) 2001(2) R.C.C. 908
Bherulal vs State of Rajasthan & Another
(2) Manu/SC/0068/1977
Amar Nath and Ors vs State of Harayana and Ors
(3) Manu/SC/0103/1977
Madhu Limaye vs The State of Maharashtra

4. इसके विपरीत गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 की ओर से यह तर्क दिया गया कि निगरानीकर्ता को परिवादी से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे, इसके अतिरिक्त हर्जे पर भी अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

निगरानीकर्ता प्रकरण में जान बूझकर देरी कर प्रकरण को विलम्बित करना चाहता है। विचारण द्वारा पारित आदेश अर्न्तवर्ती आदेश की श्रेणी में आता है, जिसके विरूद्व निगरानी प्रस्तुत करने का श्रेत्राधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना जाकर विधिनुसार आदेश पारित किया गया है, जो पुष्ट किये जाने योग्य है।

5. पत्रावली पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध होने के कारण विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब नहीं किया गया।

6. उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निर्णीत विधियों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दु उत्पन्न होता है–

> आया विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 20.01.2026 विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है?

7. पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करें, तो प्रत्यर्थी संख्या 2/परिवादी की ओर से निगरानीकर्ता के विरूद्व परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनॉक 02.11.2022 से अभियुक्त के उपस्थित होने पर उसे धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की विशिष्टियॉ सुनाई समझाई जाकर पत्रावली साक्ष्य परिवादी हेतु दिनॉक 22.12.2022 के लिए नियत की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में अधिवक्ता निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु सात अवसर एवं हर्जे पर अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रतिपरीक्षा नहीं किए जाने पर आलोच्य आदेश से साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है।

8. जहॉ तक अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 का यह तर्क कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अर्न्तवर्ती आदेश की तारीफ में आता है, जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अर्न्तवर्ती आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन की अस्वीकृति मात्र एक प्रक्रियात्मक आदेश नहीं है, यह आदेश अभियुक्त के महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावित करता है तथा उसके बचाव की प्रकृति एवं सम्पूर्ण विचारण की दिशा को प्रभावित करता है। इस सन्दर्भ में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टॉतों का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य

आदेश द्वारा न तो प्रकरण का अन्तिम रूप से निपटारा किया गया है, न ही कार्यवाही को आगे बढाने के लिए कोई आदेश दिया गया है। उक्त आदेश इंटरमीडियेट होते हुए किसी पक्ष के महत्वपूर्ण अधिकार अथवा विचारण के किसी महत्वपूर्ण पहलू के निर्णय के रूप में निर्धारण करता है, जो अर्न्तवर्ती आदेश नहीं होने से उसके विरूद्व निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता का उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

9. धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण किये जाने के प्रत्येक न्यायालय से अपेक्षा की जाती है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त को प्रथम बार दिनॉक 22.12.2022 के लिए साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया गया, तत्पश्चात् प्रकरण में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत विभिन्न प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अभियुक्त को परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु सात अवसर लिए जाने के बावजूद भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। उक्त आदेशिकाओं से अभियुक्त को परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु दो अवसर हर्जे पर दिया जाना भी जाहिर होता है। इस प्रकार निगरानीकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना दर्शित होता है।

10. आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त का प्रतिरक्षा का अधिकार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिये जाने का अप्रत्यक्ष अर्थ यह होगा कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा यद्यपि निगरानीकर्ता/अभियुक्त को प्रतिरक्षा हेतु सम्यक् अवसर प्रदान किये गये हैं और निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं कर निरन्तर प्रत्येक पेशी पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अवसर चाहे गये हैं, परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता की अनुपस्थिति का जो कारण प्रस्तुत किया गया है, उसे देखते हुए, न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय यह न्यायोचित पाता है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा हेतु एक मात्र अन्तिम अवसर 5,000/–रूपये खर्चे पर प्रदान किया जावे। अभियुक्त आगामी पेशी पर अनिवार्यतः परिवादी से प्रतिपरीक्षा करे। निगरानीकर्ता/अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा हेतु एक मात्र अवसर ही प्रदान किया जाता है। उक्त अवसर पर उसके द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षा नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 20.01.2026 प्रभावी समझा जावेगा।

11. ऐसी स्थिति में उक्त विवेचनानुसार निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर उक्त आक्षेपित आदेश दिनॉकित 20.01.2026 अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

:: आदेश ::

12. एतद्द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता राजेन्द्र प्रसाद जाखड द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम–7, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 20.01.2026 अपास्त किया जाता है। निगरानीकर्ता/अभियुक्त को परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु 5,000/–रूपये खर्चे पर एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। उक्त अन्तिम अवसर पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षा नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 20.01.2026 प्रभावी समझा जावेगा।

13. आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(डॉ0 टीना शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9,
जयपुर महानगर प्रथम

14. आदेश आज दिनॉक 14.07.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 टीना शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9,
जयपुर महानगर प्रथम

VEERENDRA KUMAR SOLANKI
Steno Gr. I
"Authenticated Document"
Digitally signed by VEERENDRA KUMAR SOLANKI
Date: 2026.07.15 16:02:14 +0530